महत्वपूर्ण / तत्काल
संख्या– 503 / XXIV(1) / 2011–45 / 2008

प्रेषक,

मनीषा पंवार
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

2. राज्य परियोजना निदेशक,
सर्व शिक्षा अभियान / सदस्य सचिव
राज्य स्तरीय समिति, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग–1 (बेसिक) देहरादूनः दिनांकः 18 अप्रैल,2011

विषयः– **शिक्षा का अधिकार अधिनियम,2009 की धारा–12 (I)(c) के प्राविधानानुसार विशिष्ट श्रेणी तथा असहायता प्राप्त / निजी विद्यालयों में अपवंचित तथा कमजोर वर्ग के बच्चों को प्रवेश दिये जाने के संबंध में।**

महोदय,

कृपया शासन के पत्र संख्या–296 / XXIV(1) / 2011–45 / 2008, दिनांक 07.04.2011 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. सन्दर्भित शासनादेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम,2009 की धारा–12 (I)(c) के प्राविधानानुसार विशिष्ट श्रेणी तथा असहायता प्राप्त / निजी विद्यालयों में अपवंचित तथा कमजोर वर्ग के बच्चों को प्रवेश दिये जाने के संबंध में दिशा–निर्देश निर्गत किये गये थे। इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नलिखित को सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 07 अप्रैल, 2011 में बिन्दु संख्या (5) के रूप में जोड़े जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

> "यथा अधिसूचित 2(d) अपवंचित समूह (Disadvantaged group) तथा 2(e) कमजोर वर्ग (Weaker sections) हेतु अनुमन्य 25 प्रतिशत सीटों में 50 प्रतिशत बालिकायें अनिवार्य रूप से सम्मिलित की जाँय।"

3. उक्त शासनादेश को इस सीमा तक यथा संशोधित समझा जाय। शासनादेश की अन्य शर्तें / निर्देश यथावत रहेंगे।

भवदीय,

(मनीषा पंवार)
सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

5. समस्त जिला अधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. राज्य परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड् सभी के लिये शिक्षा परिषद्, देहरादून।
7. अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल/कुमॉयू मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
8. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड (निदेशक के माध्यम से)।
9. समस्त अपर जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड (निदेशक के माध्यम से)।
10. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार शर्मा)
अनुसचिव।